रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1999/माघ 21, 1920
No. 60] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1999/MAGHA 21, 1920

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

सा.का.नि. 80 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है।

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित है।

3. **विवरणियों का दिया जाना :**

(i) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत, जिनमें वे मामले भी सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, त्रैमासिक विवरणियां और विवरण देगा।

(ii) प्राधिकरण, दूरसंचार सेवाओं के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित विवरणियां, विवरण या विशिष्टियां भी देगा।

4. **वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना :**

(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पश्चात्, शीघ्रातिशीघ्र, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में वर्णित वार्षिक रिपोर्ट, परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में तैयार करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट नियम गत वित्तीय वर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का वृतांत देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) प्राधिकरण के निगमित तथा कामकाज संबंधी लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए भौतिक और वित्तीय निबंधनों के अनुसार नियत वार्षिक लक्ष्य और साथ ही इन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन का एक संक्षिप्त विवरण;

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर प्रशासनिक रिपोर्ट और ऐसे क्रियाकलापों का वृत्तान्त, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना संभावित है;

(घ) प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ङ) नियोजक-कर्मचारी संबंधों पर और प्राधिकरण के कल्याणकारी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट;

(च) ऐसे अन्य प्रकीर्ण मामलों पर रिपोर्ट, जिन पर प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना उचित समझता है।

(3) वार्षिक रिपोर्ट, प्राधिकरण के अधिवेशन में अंगीकरण के पश्चात् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगा कर अधिप्रमाणित की जाएगी और उसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां केन्द्रीय सरकार को 30 सितम्बर तक प्रस्तुत की जाएंगी।

[सं. 5-4/98-टी सी ओ]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-1

भा. दू. वि. प्रा. द्वारा प्रत्येक तिमाही में दी जाने के लिए अपेक्षित विवरणियां और विवरण तथा अन्य विशिष्टियां

I. प्राधिकरण के समक्ष विवादों के निपटारे के लिए फाइल किए गए मामलों और उसके द्वारा न्यायनिर्णीत विवादों की संख्या की विवरणी

क्र. सं.	अंतिम तिमाही में लंबित मामलों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.

II. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवा की क्वालिटी को मानिटर करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए कालिक सर्वेक्षण का विवरण

क्र. सं.	तिमाही के दौरान किए गए सर्वेक्षण के ब्यौरे	भा. दू. वि. प्रा. के सर्वेक्षण	किए गए उपचारी उपाय

III. सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपायों का विवरण।

क्र. सं.	विषय	किए गए उपाय	प्राप्त परिणाम

IV. किए गए अनुसंधान और अध्ययन विषयक विवरणी जिसके अन्तर्गत भारत से बाहर किए गए अनुसंधान और अध्ययन भी हैं

क्र. सं.	विषय	अवधि	स्थान जहां अनुसंधान/ अध्ययन किया गया था	अनुसंधान और अध्ययन से संबद्ध अधिकारी/संगठन	किए गए अध्ययन/ अनुसंधान का परिणाम

V. प्राधिकरण के निदेशों के उल्लंघनों के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति के विवरण

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	जारी किए गए निदेशों के ब्यौरे	अधिरोपित शास्ति

परिशिष्ट 2

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

भाग 1

नीतियां और कार्यक्रम :

(क) दूर संचार सेक्टर में साधारण वातावरण का पुनर्विलोकन

(ख) निम्नलिखित की बाबत नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन

(क) ग्रामीण दूरभाष नेटवर्क;

(ख) दूरभाष नेटवर्क का विस्तार;

(ग) प्राइवेट सेक्टर का आधारभूत सेवा और परिवर्धित मूल्य सेवा दोनों में प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावकारी अन्त:सम्बन्ध;

(ङ) दूर संचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का क्रियान्वयन;

(छ) सेवा की क्वालिटी;

(ज) सर्वव्यापक सेवा बाध्यता।

भाग 2

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दूरसंचार सेक्टर में निम्नलिखित की बाबत कार्यकरण और संक्रियाओं का पुनर्विलोकन :—

(क) ग्रामीण दूरभाष नेटवर्क;

(ख) दूरभाष नेटवर्क का विस्तार;

(ग) प्राइवेट सेक्टर का आधारभूत सेवा और परिवर्धित मूल्य सेवा दोनों में प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावकारी अन्त:सम्बन्ध;

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का क्रियान्वयन;

(छ) सेवा की क्वालिटी;

(ज) सर्वव्यापक सेवा बाध्यता।

भाग-3

अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कृत्य।

(क) भारत में और भारत से बाहर दोनों स्थानों में दूरसंचार की दरें, जिसमें वे दरें भी सम्मिलित हैं जिन पर संदेश भारत से बाहर किसी अन्य देश में पारेषित किए जाएंगे।

(टैरिफ नियत करने के लिए किए गए उपाय उपदर्शित करें और यदि ये पहले ही नियत हो गए हैं तो उन पर सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया)

(ख) निम्नलिखित पर सिफारिशें :

(i) नए सेवा प्रदाताओं के समावेशन की आवश्यकता और समय;

(ii) किसी नए सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें;

(iii) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन न करने पर अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण;

(उपरोक्त की बाबत सिफरिशें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया उपदर्शित करें)

(ग) तकनीकी संगतता और प्रभावी अन्त:संबंधों को सुनिश्चित करना;

(किए गए उपाय और उनके परिणाम उपदर्शित करें)

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच, दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न उनकी आमदनी को बांटने संबंधी व्यवस्था का विनियमन करना;

(की गई कार्रवाई और उसके परिणाम के ब्यौरे दें)

(ङ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच स्थानीय और लम्बी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि;

(नियत समयावधियां उपदर्शित करें और क्या सेवा प्रदाताओं द्वारा उनका पालन किया गया है)

(च) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना;

(की गई कार्रवाई और उसके परिणाम के ब्यौरे दें)

(छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम;

(न्यायनिर्णीत मामलों सहित किए गए उपायों के ब्यौरे दें)

(ज) दूरसंचार सेवा के प्रवर्तन में प्रतियोगिता को सुकर बनाना और दक्षता का संवर्धन करना जिससे कि ऐसी सेवाओं का विकास सुकर हो सके;

(किए गए उपाय और उनके परिणामों को उपदर्शित करें)

(झ) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटारा;

(न्यायनिर्णीत विवादों के ब्यौरे दें)

(ञ) ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में फीस और अन्य प्रभार उद्ग्रहीत करना जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं;

(भा. दू. वि. प्रा. द्वारा संग्रहीत फीस और अन्य प्रभारों का लेखा)

(ट) सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय;

(सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय और इस बाबत हुई उपलब्धियों को उपदर्शित करें)

(ठ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित विषयों और साधारणतया दूरसंचार उद्योग संबंधी किसी अन्य विषय की बाबत केन्द्रीय सरकार को दी गई सलाह के ब्यौरे;

(दी गई सलाह और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के ब्यौरे दें)

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य;

(प्रत्यायोजित कृत्यों के निष्पादन की बाबत ब्यौरे दें)

(ढ) सेवा की क्वालिटी को मानीटर करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के सावधिक सर्वेक्षण के ब्यौरे;

(किए गए उपायों और प्राप्त परिणामों के ब्यौरे दें)

(ण) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपस्कर का निरीक्षण करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर की किस्म के संबंध में की गई सिफारिश।

(किए गए निरीक्षण और की गई उपचारी कार्रवाई के ब्यौरे दें)

भाग-4

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक विषय जिनके अन्तर्गत वित्तीय कृत्य भी हैं।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 1999

G.S.R. 80(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section 2 of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the Following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Annual Report and Returns) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these rules unless the context otherwise requires—

(a) ``Act'' means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) "Appendix" means an Appendix annexed to these rules.

(c) Words and expressions used in these rules but not defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Furnishing of returns:—(i) The Authority shall furnish quarterly, to the Central Government, returns and statements on the matters specified in Appendix-I, including matters as may be specified by the Central Government from time to time.

(ii) The Authority shall also furnish such returns, statements or particulars in regard to any proposed or existing programme for the promotion and development of the Telecommunications services, as the Central Government may direct from time to time.

4. Preparation and submission of annual report.—(1) The Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year the annual report referred to in sub-section (2) of section 24 of the Act in the form specified in Appendix II.

(2) The annual report shall give an account of the activities during the previous financial year, containing interalia—

(a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;

(b) annual targets in physical and financial terms set for various activities in the background of clause (a), together with a brief review of actual performance with reference to those targets;

(c) A administrative report on the activities of the Authority during the year just past and the current year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(d) important changes in the organisational set up of the Authority;

(e) report on employer-employees relations and welfare activities of the Authority;

(f) report on such other miscellaneous matters as deemed fit by the Authority for reporting to the Central Government.

(3) The annual report shall after adoption at a meeting of the Authority and be signed by the members and authenticated by affixing the common seal of the Authority and the requisite number of copies thereof shall be submitted to the Central Government by the 30th day of September.

[F.No. 5-4/98–TCO]
R.K. GUPTA, Jt. Secy.

APPENDIX-I

RETURNS AND STATEMENTS AND OTHER PARTICULARS REQUIRED TO BE FURNISHED QUARTERLY BY TRAI.

I. Return on number of cases filed before the Authority for settlement of disputes and adjudicated upon.

Sl. No.	No of Cases pending in the last quarter	No. of cases received during the quarter	No. of cases disposed of

II. Statement on the periodical survey conducted by the Authority to monitor the quality of service provided by the service providers.

Sl. No.	Survey conducted during the quarter with details	Observations of TRAI	Remedial steps taken

III. Statement on steps taken to achieve universal service obligation.

Sl. No.	Subject	Steps taken	Results achieved

IV. Returns on research and studies conducted including those conducted outside India.

Sl. No.	Subject	Duration	Place where research/study was conducted	Official/organisation concerned with research & studies	Results of the studies/research conducted

V. Statements on penalty imposed by the Authority for contraventions of the directions of the Authority.

Sl. No.	Name of the service provider	Details of the directions issued	Penalty imposed

APPENDIX—II

Form of Annual Report of the Telecom Regulatory Authority of India

Part-I

Policies & programmes :

(a) Review of General Environment in the Telecom Sector.

(b) Review of policies and programme in respect of

(a) Rural Telephone Network:

(b) Expansion of Telephone Network:

(c) Entry of private sector in both basic and value added service;

(d) Technical compatibility and effective interconnection between service providers;

(e) Telecommunication technology;

(f) Implementation of National Telecom Policy;

(g) Quality of Service;

(h) Universal service obligation.

Part-II

Review of working and operation of the Telecom Regulatory Authority of India in Telecom Sector in Respect of

(a) Rural Telephone Network:

(b) Expansion of Telephone Network:

(c) Entry of private sector in basic and value added services;

(d) Technical compatibility and effective interconnection between service providers;

(e) Telecommunication technology;

(f) Implementation of National Telecom Policy;

(g) Quality of Service;

(h) Universal service obligation.

Part-III

Functions of the Telecom Regulatory Authority of India in respect of matters specified in Section 11 of the Act.

(a) Telecommunication rates both within India and outside India including the rates at which message shall be transmitted to any country outside India.

(Indicate the measures taken to fix tariffs and if already fixed the reaction of service providers thereto)

(b) Recommendations on :

(i) the need and timing of the new service providers;

(ii) the terms and conditions of licence to a new service provider.

(iii) Revocation of Licence for non-compliance of terms and conditions of Licence.

(Indicate the recommendations on the above and reaction of the Government thereto)

(c) Ensuring technical compatibility and effective inter-connection;

(Indicate the measures taken and the results thereof)

(d) Regulating arrangement amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication service.

(Give details of action taken and the results thereof)

(e) Time period for providing local and long distance circuits of telecommunication between different service providers;

(Indicate the time period fixed and whether they have been adhered to by service provider).,

(f) Ensuring compliance of terms and conditions of licence;

(Give details of action taken and results thereof)

(g) Steps taken to protect the interest of consumers of telecommunication services;

(Give details of steps taken including the details of cases adjudicated upon)

(h) Steps taken to facilitate completion and promote efficiency in the operation of telecommunication services so as to facilitate growth in such services;

(Give details of steps taken and the results thereof)

(i) Settlement of dispute betwen service providers;

(Give details of disputes adjudicated upon)

(j) Levy of fees and other charges at such rates and in respect of such services as may be determined by regulations

(Give an account of fees and other charges collected by TRAI)

(k) Steps taken to ensure effective compliance of universal service obligation.

(Indicate the steps taken to ensure effective compliance of universal service obligation and achievement in this regard)

(l) Details of advice rendered to the Central Government in the matter relating to development of telecommunication technology and any other matter relatable in telecommunication industry in general.

(Give details of advice rendered and the reaction of the Government thereto)

(m) Administrative and financial functions entrusted to it by the Central Government.

(Give details regarding performance of delegated functions)

(n) Monitoring of the quality of services and details of promotional survey of such services by the service providers.

(Give details of steps taken and the results achieved)

(o) Inspection of equipment used in the network and recommendation made on the type of equipment to be used by the service providers.

(Give details of the inspection made and remedial action taken)

Part-IV

Organisational matters of the Telecom Regulatory Authority of India, including financial performance.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054